(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-135/दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2012 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 17/निग./कले./2010-11.

मानसिंह पुत्र श्री रामसिंह काछी
निवासी ग्राम भगदेई, तहसील बरेली
जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
2. श्री चरनसिंह आ. स्व. श्री हरभजन
   निवासी ग्राम भगदेई, तहसील बरेली
   जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 31.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्र. 2 के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम भगदेई खसरा क्र. 93/3 रकबा 0.672 हैक्टेयर (1.66 एकड़) जो कि उसे वारिसान हक में प्राप्त हुई थी, को विधिवत 12 वर्ष के शासकीय अभिलेखों की जांच पड़ताल कर सद्भाविक रूप से दिनांक 02.05.2003 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि का पूर्ण मूल्य भुगतान कर क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया एवं नायब तहसीलदार, बरेली के समक्ष प्रश्नाधीन कृषि भूमि का नामांतरण कराकर कृषि लाभ प्राप्त करता रहा। लंबे अंतराल के पश्चात्

कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा विवादित कृषि भूमि को अहस्तांतरणीय मान्य करते हुए स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क्र. 17/निग./कले./2010-11 दर्ज किया गया एवं आदेश दिनांक 31.10.2012 से आवेदक का नामांतरण शून्य घोषित करते हुए विवादित कृषि भूमि का शासन हित में कब्जा प्राप्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। कलेक्टर, जिला रायसेन के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विरूद्ध जाकर आदेश में उल्लेखित परिपत्रों के आधार पर इतने लंबे अंतराल के प्रकरण को 10-11 में स्वनिगरानी में लेने में गंभीर त्रुटि की है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक हो गया है कि आवेदक कृषि मजदूर होकर भूमिहीन व्यक्ति था, जिसने कि अपने कठिन परिश्रम से पैसा इकट्ठा कर विवादित भूमि को क्रय कर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त किये हैं। विवादित भूमि के अलावा उसके पास अन्य कोई भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आवेदक ने पूर्णरूप से शासकीय अभिलेखों की जांच पश्चात् ही विधिवत विक्रय पत्र संपादित कराकर कब्जा प्राप्त कर उन्नत कृषि योग्य बनाया गया है। जांच में कहीं भी विवादित भूमि अहस्तांतरणीय अथवा शासकीय पट्टे की होना नहीं पाया गया था, ऐसी स्थिति में वाद बहुलता को बढ़ावा देने वाला आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है।

(4) यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हो गया है कि विवादित कृषि भूमि आवेदक द्वारा सद्भावना से क्रय की गई है। यदि विवादित भूमि उसके स्वत्व से चली जाती है तो वह भूमिहीन होकर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, ऐसी स्थिति में सद्भावना पर विवादित भूमि का नैसर्गिक न्याय के अनुसार आवंटन आवेदक को किया जाना सद्भाविक होकर न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए विवादित भूमि शासकीय पाये जाने पर विधिवत जांच कर आवेदक भूमिहीन होने के कारण उसके पक्ष में व्यवस्थापन/पट्टे की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अनावेदक क्र. 2 के पिता स्व. श्री हरभजन से राज्य शासन से शासकीय पट्टे पर प्रदत्त भूमि शासकीय पट्टाधारी से विधि प्रावधानों के विरूद्ध अर्थात् बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के क्रय की है। आवेदक को प्रश्नांकित शासकीय पट्टा भूमि क्रय करने के पूर्व यह जानकारी स्वत: ही प्राप्त करना चाहिए था कि, भूमि विक्रेता द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि कहां से व किस प्रकार अर्जित हुई है। स्व. हरभजन को पट्टे पर पट्टा निबंधों के अनुरूप प्रदत्त की गई थी। अनावेदक पट्टाधारी ने शासकीय पट्टे पर प्राप्त अहस्तांतरणीय स्वरूप की भूमि का विधि प्रक्रिया एवं विधि प्रावधानों के विपरीत जाकर विक्रय किया है। स्व. हरभजन द्वारा धारित पट्टा भूमि का आवेदक के नाम से भूमि अंतरण संहिता की धारा 165(7)(ख) का स्पष्टत: उल्लंघन होने के साथ-साथ संहिता की धारा 182(2)(4) पट्टा निबंधों का भी उल्लंघन है। स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 2 के पिता स्व. श्री हरभजन को प्रश्नाधीन शासकीय भूमि का शासकीय पट्टा वर्ष 1980-81 में प्रदत्त किया गया है तथा स्व. श्री हरभजन ने प्रदत्त शासकीय पट्टा निबंधनों/शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन किया है। अत: कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा विक्रित पट्टा भूमि का किया गया नामांतरण विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम अनुमति के स्वीकृत किया जाना पाये जाने पर संहिता की धारा 165(7-क) के तहत अमान्य/शून्य घोषित कर उचित आदेश पारित किया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2012 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर